न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 101 / 2020 – निगरानी

1. विकास कुमार हरिजन पुत्र बनाम राजूलाल हरिजन निवासी – टंकी के पास, हरिजन बस्ती, आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

1. सुशीला बाई पत्नी स्व0 रमेश हरिजन निवासी – आटूण
2. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 रमेश हरिजन निवासी – आटूण
3. लादू पुत्र स्व0 रमेश हरिजन निवासी – आटूण
4. शिव कुमार पुत्र स्व0 रमेश हरिजन निवासी– आटूण
5. ग्राम पंचायत आटूण पं.सं. सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत आटूण पं.सं. सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत आटूण पं.सं. सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा पत्रावली कमांक 24 दिनांक 20 / 07 / 2007 के पट्टा संख्या 23 निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री दूधाराम कुमावत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मनोहर लाल बुनकर अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 से 04 ओर से

निर्णय

दिनांक 14.10.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम आटूण ग्राम पंचायत आटूण पंचायत समिति सुवाणा के आबादी हल्का मे नपती 30 बाई 22 फीट का पुराने गृहो का विनियमतिकरण का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के पति व गैर निगराकार संख्या 02 लगायत 04 के पिता रमेश पुत्र रामचन्द्र हरिजन निवासी – आटूण के पक्ष में विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है। नियमो से परे जाकर बिना मिसल पत्रावली कायम किये, मनमकसूद तरीके से बिना पंचायत राज नियमो की पालना किये गये ही उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अनियमितता बरती गयी ? एवं किन – किन नियमों की उल्लघंना की गयी ? इसके बारे में कोई भी दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आटूण पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)